<u>ि 1</u> 🔌 <u>आपराधिक प्रकरण कमांक 395/2015</u>

न्यायालय- प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक <u>395 / 2015</u> संस्थापित दिनांक <u>24 / 06 / 2015</u> फाईलिंग नम्बर—<u>230303022852015</u>

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र— गोहद, जिला भिण्ड म०प्र०

...... अभियोजन

बनाम

 रामगोपाल पुत्र रामचरन शर्मा उम्र–52 साल व्यवसाय खेती निवासी ग्राम भगवासा पुलिस थाना,गोहद,जिला भिण्ड म0प्र0

...... अभियुक्त

(अपराध अंतर्गत धारा—325 भा०द०स०) (राज्य द्वारा एडीपीओ—श्री प्रवीण सिकरवार ।) (आरोपी द्वारा अधिवक्ता—श्री पी०के०वर्मा।)

<u>::- नि र्ण य -::</u>

(आज दिनांक 25/01/2017 को घोषित किया) 🗸

आरोपी पर दिनांक 25/3/15 को दिन के करीबन 3:00बजे ग्राम भगवासा में फरियादी मुन्नलाल की लाठी से मारपीट कर उसे अस्थि भंग कारित कर उसे स्वेच्छया गंभीर उपहति कारित करने हेतु भा0दं0सां की धारा 325 के अंतर्गत आरोप हैं।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 25/3/15को फरियादी मुन्नालाल अपने खेत की मेड में बकरियाँ चरा रहा था उसकी एक बकरी एवं दो बच्चे खेत में चले गये थे एवं खेत में खड़ा बथुआ खाने लगे थे तभी आरोपी रामगोपाल आया था और उसने फरियादी से कहा था कि उसके व उसके भाई के खेत में बकरियाँ क्यों चरा रहा है इसी बात पर आरोपी रामगोपाल ने एक लाठी उसके बाये हाथ में मारी थी जिससे उसके बाये हाथ में चोट आई थी मौके पर उसकी बहन गुड़डीबाई आ गई थी जिसने उसे बचाया था। फरियादी की रिर्पोट पर पुलिस थाना गोहद में अदम चैक कमांक 64/15 लेखबद्ध की गई थी एवं फरियादी मुन्नालाल को चिकित्सकीय परीक्षण के लिये भेजा गया था फरियादी की चिकित्सकीय रिर्पोट में फरियादी को आई चोट गंभीर प्रकृति की होने के कारण आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना गोहद में अप0क094/15 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गयाथा विवेचना के दोरान घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गयाथा साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे आरोपी

को गिरफतार किया गया था एवं विवेचनापूर्ण होने पर अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था।

- 3. उक्त अनुसार आरोपी के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपी को आरोपित अपराध पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।
- 4. द0प्र0स0की धारा313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया हैकि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूंटा फंसाया गया है।
- 5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुये है :--
- 1. क्या आरोपी दिनांक 25/3/15 को फरियादी मुन्नालाल के शरीर पर उपहतियाँ थी? यदि हाँ तो उनकी प्रकृति ?
 - 2. क्या उक्त उपहतियाँ फरियादी मुन्नालाल को आरोपी द्वारा स्वेच्छया कारित की गई थी?
- 6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी मुन्नालाल आ0सा01,साक्षी गुडडीबाई आ0सा02 डॉ0आलोक शर्मा आ0सा03 ,एस0आई जे0एस0यादव आ0सा04 एवं ए0एस0आई कमलेश कुमार आ0सा05 को परीक्षित कराया गया है जबिक आरोपी की ओर से बचाव में साक्षी पुरूषोत्तम शर्मा ब0सा01 एवं रामअख्त्यार शर्मा ब0सा01 को परीक्षित कराया गया हैं।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

- 7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में डॉ०आलोक शर्मा आ०सा०3 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया हैकि उसने दिनांक 25/3/15 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में थाना गोहद के आरक्षक मोनू द्वारा लाये जाने पर आहत मुन्नालाल का चिकित्सकीय परीक्षण किया था एवं परीक्षण के दौरान उसने मुन्नालाल के बायी अग्रभुजा के बीच के भाग पर नीलगू निशान पाया था उसके मतानुसार उक्त चोट सख्त एवं बौथरी वस्तु से आना संभावित थी जो उसकी परीक्षण अविध के पूर्व 06 घंट के अंदर की थी। चोट की प्रकृति जानने के लिये उसने ए—क्सरे की सलाह दी थी उसकी चिकित्सकीय रिर्पोट प्र०पी03 है जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त कियाहै कि उसने आहत मुन्नालाल का ए—क्सरे परीक्षण किया था एवं परीक्षण के दौरान उसने मुन्नालाल की अल्नाअस्थि के नीचे एक तिहाई भाग में अस्थिभंजन होना पाया था उसकी ए—क्सरे रिर्पोट प्र०पी04 है जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के पद क्र03में उक्त साक्षी ने यह स्पष्ट किया हैकि आहत को आई चोट गिरने से आना संभव हैं।
- 8. फरियादी मुन्नालाल आ०सा०१ ने भी अपने कथन में झगडे के दौरान उसके बाये हाथ में अस्थिभंग होना बताया है । साक्षी गुडडीबाई आ०सा०२ ने भी फरियादी मुन्नालाल के बाये हाथ में चोट आना बताया हैं। उक्त दोनों ही साक्षियों का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा प्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त दोनों ही साक्षियों का कथन फरियादी के शरीर पर चोट होने के बिन्दु पर अखण्डनीय रहा हैं। प्र०पी०१ की अदम चैक एवं प्र०पी०१ की प्रथम सूचना रिर्पोट में भी फरियादी मुन्नालाल के बाये हाथ में चोट आने का उल्लेख है। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर फरियादी मुन्नालाल आ०सा०१ का कथन प्र०पी०१ की अदम चैक एवं प्र०पी०१ की प्रथम सूचना रिर्पोट से भी पृष्ट रहा है। उक्त

बिन्दु पर फरियादी मुन्नालाल आ०सा०१ के कथन का समर्थन साक्षी गुडडीबाई आ०सा०२ एवं डॉ०आलोक शर्मा आ०सा०३ द्वारा भी किया गया है। उक्त सभी साक्षीगण के कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान फरियादी मुन्नालाल के शरीर पर चोट होने के बिन्दू पर अखण्डनीय रहे हैं डॉ0आलोक शर्मा आ0सा03 चिकित्सकीय विशेषज्ञ होकर स्वतंत्र साक्षी हैं उसकी फरियादी से कोई हितबद्धता एवं आरोपी से कोई रंजिश होना अभिलेख से दर्शित नहीं हैं। उक्त साक्षी का कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान फरियादी मुन्नालाल की बायी अग्रभुजा में अस्थिभंग होने के बिन्दु पर अखण्डनीय भी रहा है एवं अखण्डनीय रहे कथन के संबंध में यह उपधारणा की जाती है कि अखण्डनीय रहे कथन की सीमा तक उभयपक्षों के मध्य कोई विरोध नहीं हैं। फलतः उपरोक्त बिन्दु पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित हैं कि घटना दिनांक को फरियादी मुन्नालाल के शरीर पर उपहतियाँ थी जिसकी प्रकृति गंभीर थी।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2

- अब मुख्य विचारणीयप्रश्न यह हैकि क्या उक्त उपहति फरियादी मुन्नालाल को आरोपी द्वारा स्वेच्छया कारित की गई? उक्त संबंध मे फरियादी मुन्नालाल आ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि झगडा उसके न्यायालीन कथन से पिछले फाग्न के महीने में दिन के लगभग 3:00बजे हुआ था वह हार में था एवं सरकारी जमीन पर बकरियाँ चरा रहा था तो आरोपी रामगोपाल वहां आ गया था । आरोपी ने उसे लाठियाँ मारी थी और उसे माँ बहन की गालियाँ दी थी आरोपी रामगोपाल ने उसकी मारपीट इसलिये की थी क्योंकि आरोपी का कहना था कि उसकी बकरियाँ आरोपी के खेत में चली गई थी जबकि बकरियाँ आरोपी के खेत में नहीं गई थी इसके बाद वह थाना गोहद में रिर्पोट करने गया था उसकी रिर्पोट प्र0पी01 है जिस पर उसने निशानी अंगूठा लगायाथा नक्शा मौका प्र0पी02 है जिस पर उसने निशानी अंगूठा लगाया था। प्रतिपरीक्षण के पद क्03 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसके पास केवल दो बकरियाँ है एवं यह भी स्वीकार किया हैकि उसकी बकरियाँ झगडे के पूर्व कई बार रामगोपाल के खेत में चरने घुस जाया करती थी। उसे घटना की दिन तारीख सन् याद नहीं है झगड़ा सरकारी जमीन पर हुआ था ऐसा नहीं हुआ कि झगड़ा रास्ते में हुआ हों। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया हैकि जब वह बकरियाँ चरा रहा था उस समय रामगोपाल घटना-स्थल पर नहीं था रामगोपाल ने उसके केवल एक ही लाठी मारी थी झगडे के समय गांव का कोई व्यक्ति नहीं आया था। पुलिस वालें घटना-स्थल पर नहीं गये थे उन्होंने थाने पर ही नक्शा मौका बना लिया था उसकी रिर्पोट के दूसरे तीसरे दिन अस्पताल में उसकी डॉक्टरी हुई थी।
- साक्षी गुडडी आ०सा०२ ने भी फरियादी मुन्नालाल आ०सा०१ के कथन का समर्थन किया है एवं आरोपी द्वारा फरियादी मुन्नालाल की लाठी से मारपीट किये जाने बाबत प्रकटीकरण किया हैं।
- ए०एस०आई कमलेश कुमार आ०सा०५ ने प्र०पी०७ की प्रथम सूचना रिर्पोट को प्रमाणित किया है एवं एस0आई जे0एस0यादव आ0सा04 ने विवेचना को प्रमाणित किया हैं।
- तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ताद्वारा व्यक्त किया गया है कि प्रस्तृत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभाषी रहे है । अभियोजन द्वारा किसी स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता हैं।

- 13. आरोपी की ओर से बचाव के दौरान साक्षी पुरूषोत्तम शर्मा ब0सा01 एवं रामअख्त्यार शर्मा ब0सा02 को परीक्षित कराया गया हैं। उक्त दोनो ही साक्षियों ने अपने कथनमें व्यक्त किया है कि घटना के 8–10 दिन पहले आरोपी रामगोपाल एवं फरियादी मुन्नालाल के मध्य विवाद हुआ था मुन्नालाल रामगोपाल के खेत में अपनी बकरियाँ चरा रहा था तो आरोपी ने मुन्नालाल को बकरी चराने से मना किया था ओर उसके धौस थप्पड दी थी। उक्त घटना के 8–10 दिन बाद फरियादी मुन्नालाल रामगोपाल के खेत में बकरी चरा रहा था उस समय रामगोपाल अपने खेत पर नहीं था रामगोपाल को आता देखकर मुन्नालाल रामगोपाल के खेत से बकरियाँ निकालने गया था तो वह खेत की मेड पर गिर गया था जिससे उसके हाथ में चोट आ गई थी।
- 14. सर्वप्रथम बचावपक्ष अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में फिरयादी मुन्नालाल आ0सा01 एवं साक्षी गुडडीबाई आ0सा02 एक ही परिवार के सदस्य है। अभियोजन द्वारा किसी स्वतंत्र साक्षी को प्रकरण में परीक्षित नहीं कराया गया है। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता हैं। परन्तु बचाव पक्ष अधिवक्ता का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं हैं। यघिप यह सत्य है कि फिरयादी मुन्नालाल आ0सा01 एवं साक्षी गुडडीबाई आ0सा02 एक ही परिवार के सदस्य है एवं एक दूसरे से हितबद्ध है परन्तु यह भी उल्लेखनीय है कि फिरयादी के कथनों की स्वतंत्र साक्षियों से सम्पुष्टि का जो नियम है वह विधि का न होकर प्रज्ञा का है यदि फिरयादी के कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान तात्विक विरोधाभाषों से परे रहे हों तो मात्र इस कारण फिरयादी के कथनों पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है कि उसके कथनों की पुष्टि किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा नहीं की गई हैं। हितबद्ध साक्षियों के संबंध में विधि मात्र यह अपेक्षा करती है कि हितबद्ध साक्षियों की साक्ष्य का मूल्याकंन साक्षानी से किया जाना चाहियें। अब देखना यह हैकि क्या प्रस्तुत प्रकरण में फिरयादी मुन्नलाल एवं साक्षी गुडडीबाई आ0सा02 के कथन इतने विश्वसनीय है जिसके आधार पर आरोपी को दोषारोपित किया जा सकता हैं।
- फरियादी मुन्नालाल आ०सा०१ ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह व्यक्त 15. किया है कि घटना वालें दिन वह हार में सरकारी जमीन पर बकरियाँ चरा रहा था तो आरोपी रामगोपाल उसे मॉ बहन की गालियाँ दी थी ओर उसे लाठियाँ मारी थी जिससे उसके बाये हाथ में अस्थि भंग हो गया था आरोपी ने उसकी मारपीट इस कारण की थी क्योंकि आरोपी का कहना था कि उसकी बकरियाँ आरोपी के खेत में चली गई थी जबकि बकरी उसके खेत में नहीं गई थी। इस प्रकार फरियादी मुन्नालाल आ0सा01 द्वारा यह बताया गया है कि वह अपनी बकरियों को सरकारी जमीन पर चरा रहा था एवं घटना के वक्त बकरियाँ आरोपी रामगोपाल के खेत में नहीं चर रही थी जबकि प्र0पी01 की अदम चैक में यह वर्णित है कि फरियादी की एक बकरी एवं दो बच्चे रामगोपाल के खेत में चले गये थे तथा बथुआ खाने लगे थे इस प्रकार उक्त बिन्दू पर फरियादी मुन्नालाल आ०सा०१ के कथन प्र0पी०१ की अदम चैक से किंचित विरोधाभाषी रहे हैं । फरियादी मुन्नालाल आ०सा०१ द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह भी बताया गया हैकि आरोपी ने उसे मॉ बहन की गालियां दी थी परन्तु इस बात का उल्लेख भी प्र0पी01 की अदम चैक में नहीं है इस प्रकार उक्त बिन्दु पर भी फरियादी मुन्नालाल आ०सा०। के कथन प्र०पी०। की अदम चैक से किचित विरोधाभाषी रहे है परन्तु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि यह मानवीय स्वभाव है कि वह इस कारण से कि उसके कथनों पर विश्वास किया जाये घटना को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करता है परन्तु मात्र इस कारण फरियादी के सम्पूर्ण कथनों को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है यह

<u> 5 🔗 आपराधिक प्रकरण कमांक 395/2015</u>

न्यायालय का कर्तव्य है कि वह झूंठ एवं सच के मिश्रण में से झूंठ को पृथक करें। अतः फरियादी के उक्त कथनों से अभियोजन घटना पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता हैं।

- 🧪 फरियादी मुन्नालाल आ०सा०१ ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी बताया है 16. कि उसे झगडे का दिन तारीख व सन् याद नहीं है तथा यह भी व्यक्त किया हैकि पुलिस मौके पर नहीं आई थी एवं पुलिस ने थाने पर ही नक्शा मौका बना लिया था परन्तु यहां यह भी उल्लेखनीय हैं कि फरियादी मुन्नालाल अनपढ ग्रामीण कृषक हैं ऐसी स्थिति में यह अत्यन्त स्वभाविक है कि उसे झगडे का दिन तारीख एवं सन् ज्ञात नहीं हों अतः उक्त आधार पर भी अभियोजन घटना पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता हैं। फरियादी मुन्नालाल आ०सा०१ ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी बताया हैकि रामगोपाल ने उसके डंडा मारा था लाठी मारने वाली बात उसने गलत लिखा दी थी तो यहां यह उल्लेखनीय है कि लाठी एवं डंडा मुल रूप से एक ही तरफ के हथियार होते हैं ऐसी स्थिति में उक्त तथ्य से भी अभियोजन घटना पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है। फरियादी मुन्नालाल आ०सा०1 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी बताया हैकि रिर्पोट लिखने के दूसरे तीसरे दिन उसकी अस्पताल में डॉक्टरी कराई गई थी जबकि प्र0पी01 की अदमचैक के अनुसार घटना दिनांक 25/3/15 की है एवं प्र0पी03 की चिकित्सकीय रिर्पोट के अनुसार फरियादी मुन्नालाल का चिकित्सकीय परीक्षण भी घटना दिनांक 25 / 3 / 15 को ही हुआ था तथा प्र0पी04 के ए—क्सरे रिर्पोट के अनुसार फरियादी मुन्नालाल का ए—क्सरे परीक्षण दिनांक 26/3/15 को किया जाना अंकित हैं । इस प्रकार प्र0पी03 की चिकित्सकीय रिपीट के अनुसार फरियादी मुन्नालाल का चिकित्सकीय परीक्षण घटना दिनांक को ही हुआ था जबकि फरियादी मुन्नालाल ने चिकित्सकीय परीक्षण रिर्पोट लिखाने के दूसरे तीसरे दिन होना बताया है। इस प्रकार उक्त बिन्द पर भी फरियादी मुन्नालाल आ०सा०१ के कथनों में किंचित विसंगति आई है परन्तु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि घटना दिनांक 25/3/15 की है एवं फरियादी मुन्नालाल का न्यायालय में कथन दिनांक 10/3/16 को हुआ है इसके अतिरिक्त फरियादी का ए-क्सरे परीक्षण घटना के दूसरे दिन दिनांक 26/3/15 को हुआ है ऐसी स्थिति में समय का लम्बा अंतराल होने के कारण फरियादी के कथनो में उक्त विसंगति आना स्वाभाविक है परन्तु उक्त विसंगति इतनी तात्विक नहीं है जिसके आधार पर संपूर्ण अभियोजन कहानी को ही अविश्वसनीय माना जायें।
- 17. साक्षी गुडडीबाई आ0सा02 ने भी अपने कथन में यह बताया है कि घटना वाले दिन उसका भाई बकरियों को पानी पिला रहा था तो रामगोपाल ने उसके भाई मुन्ना को मॉ—बहन की गालियाँ दी थी एवं मुन्नालाल के एक लाठी मारी थी जो उसकी बायी बाह में लगी थी। प्रतिपरीक्षण के पद क03 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया हैिक जब वह मुन्नालाल के पास पहुंची थी तब तक मुन्नालाल को चोट लग चुकी थी घटना—स्थल पर उसे रामगोपाल एवं रामगोपाल के दोनों लडके तथा जगदम्बाप्रसाद मौजूद मिले थे आरोपीगण के हाथ में लाठियाँ नहीं थी केवल बबूल के डंडे थे उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार कियाहैिक चारो लोगों में सेमुन्नालाल को किस ने मारा था वह नहीं देख पाई थी। इस प्रकार साक्षी गुडडीबाई आ0सा02 के कथनों से यह दर्शित हैिक गुडडीबाई घटना होने के बाद मौके पर पहुंची थी उक्त साक्षी घटना की प्रत्यक्ष दर्शी साक्षी नहीं है उक्त साक्षी ने मारपीट होते हुये नहीं देखी थी परन्तु उक्त साक्षी ने आरोपी रामगोपाल को घटना स्थल पर हाथ में बबूल का डंडा लिये हुये देखा था।

को गिरने से हाथ में चोटें आई थी आरोपी द्वारा फरियादी की मारपीट नहीं की गई थी डॉ0आलोक शर्मा आ0सा03 ने भी यह स्वीकार किया है कि मुन्नालाल को आई चोट हाथ के बल पथरीली सतह पर गिरने से आना संभव है एवं बचाव साक्षी पुरूषोत्तम शर्मा ब0सा01 एवं रामअख्त्यारशर्मा ब0सा02 ने भी अपने कथन में यह बताया है कि मुन्नालाल खेत की मेड पर गिर गया था जिससे उसके चोटें आ गई थी।

- 19. जहां तक बचाव साक्षी पुरूषोत्तम शर्मा ब0सा01 एवं रामअख्ट्यार शर्मा ब0सा02 के कथन का प्रश्न है तो यघिप उक्त दोनों ही साक्षीगण द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि मुन्नालाल को खेत की मेड पर गिरने से चोटें आई थी परन्तु उक्त दोनों ही साक्षियों द्वारा यह नहीं बताया गया है कि मुन्नालाल किस तारीख,माह एवं सन् में खेत की मेड पर गिरा था। इसके अतिरिक्त बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण के दौरान फरियादी मुन्नालाल को यह सुझाव दिया गया है कि जिस समय फरियादी खेत की मेड पर गिरा था उस समय शांतीप्रसाद व विदयादास मौके पर मौजूद थे और उक्त दोनों लोगों ने फरियादी को गिरते हुये देखा था उक्त सुझाव को फरियादी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। यहां यह उल्लेखनीय हैं कि बचाव पक्ष द्वारा स्वयं फरियादी मुन्नालाल के प्रतिपरीक्षण के दौरान यह व्यक्त किया गया है कि फरियादी को खेत की मेड पर गिरते हुये शांतीप्रसाद और विदयादास ने देखा था बचाव पक्ष का ऐसा कहना नहीं हैकि उस समय बचाव साक्षी पुरूषोत्तम शर्मा ब0सा01 एवं रामअख्ट्यार शर्मा ब0सा02 भी मौके पर मौजूद थे उक्त साक्षीगण के संबंध मे बचाव पक्ष द्वारा फरियादी मुन्नालाल आ0सा01 को प्रतिपरीक्षण के दौरान कोई सुझाव नहीं दिया गया है एवं शांतीप्रसाद तथा विदयादास को बचाव पक्ष द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया हैं। ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं होता हैकि पुरूषोत्तम शर्मा ब0सा01 एवं रामअख्तयार शर्मा ब0सा02 मौके पर मौजूद थे अतः उक्त साक्षीगण के कथन विश्वास योग्य नहीं है एवं उक्त साक्षीगण के कथनों से आरोपी को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता हैं।
- 20. जहां तक डॉ०आलोक शर्मा के कथन का प्रश्न है तो यघिप डॉ०आलोक शर्मा आ०सा०३ ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया हैिक आहत को आई चोट गिरने से आना संभव है परन्तु यह भी उल्लेखनीय है कि डॉ०आलोक शर्मा चिकित्सकीय विशेषज्ञ है उक्त साक्षी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है उक्त साक्षी द्वारा मात्र यह राय प्रकट की गई है कि आहत को आई चोट गिरने से भी आ सकती हैं। उक्त साक्षी का ऐसा कहना नहीं हैिक आहत को आई चोट लाठी से नहीं आ सकती हैं। ऐसी स्थिति में डॉ०आलोक शर्मा आ०सा०३ के उक्त कथन से भी आरोपी को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता हैं।
- 21. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि फरियादी द्वारा आरोपी को रंजिशन अपराध में मिथ्या संलिप्त किया गया हैं। यदि तर्क के लिये यह मान भी लिया जाये कि फरियादी एवं आरोपी के मध्य पूर्व से रंजिश विधमान है तो भी रंजिश एक ऐसी दुधारी तलवार है जिसका प्रयोग दोनों तरफ से किया जा सकता है। यदि रंजिश के कारण फरियादी द्वारा आरोपी को मिथ्या अपराध में संलिप्त किया जा सकता है तो रंजिश के कारण ही आरोपी द्वारा फरियादी की मारपीट भी की जा सकती है। अतः मात्र रंजिश के आधार पर आरोपी को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता हैं।
- 22. प्रकरण के अवलोकन से दर्शित हैकि प्रकरण में फरियादी मुन्नालाल आ०सा०1 ने अपने कथन में आरोपी रामगोपाल द्वारा उसकी लाठी से मारपीट करना बताया है उक्त साक्षी का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा प्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कथन

तुच्छ विसंगतियों को छोडकर तात्विक विरोधाभाषों से परे रहा है। साक्षी गुडडीबाई आ0सा02 यघिष घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है उसने आरोपी को मारपीट करते हुये नहीं देखा है परन्तु उक्त साक्षी के कथनों से यह तो स्पष्ट है कि उक्त साक्षी ने आरोपी रामगोपाल को लाठी लिये हुये मौके पर देखा था। प्र0पी01 की अदम चैक से यह दर्शित है कि घटना दिनांक 25/3/15 को दिन के 3:00 बजे की है एवं फिरयादी द्वारा घटना की सूचना थाने पर दिनांक 25/3/15 को 17:50 बजे दी गई है इस प्रकार फिरयादी मुन्नालाल द्वारा घटना की सूचना थाने पर यथाशीघ्र दी गई है फिरयादी मुन्नालाल के कथन तात्विक बिन्दुओं पर प्र0पी01 की अदम चैक एवं प्र0पी07 की प्रथम सूचना रिर्पोट से भी पुष्ट रहे हैं। चिकित्सकीय रिर्पोट में भी फिरयादी के शरीर के उसी भाग में अस्थि भंग होना वर्णित है जिस भाग पर मारपीट के दौरान चोट आना फिरयादी द्वारा बताया गया है। इस प्रकार फिरयादी मुन्नालाल का कथन चिकित्सकीय साक्ष्य से भी पुष्ट रहा है आरोपी की ओर से उक्त तथ्यों के खण्डन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई हैं एवं जहां फिरयादी के कथन चिकित्सकीय साक्ष्य से पुष्ट हो वहां उसके कथनों पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है।

- 23. फलतः उपरोक्त अवलोकन से यह प्रमाणित हैकि घटना दिनांक को आरोपी रामगोपाल ने फरियादी मुन्नालाल की लाठी से मारपीट कर उसे अस्थि भंग कारित कर उसे गंभीर उपहति कारित की थी।
- 24. अब न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या फरियादी द्वारा आरोपी को स्वेच्छया उपहित कारित की गई थी ? उक्त संबंध में प्रकरण में आई साक्ष्य से यह दर्शित है कि फरियादी एवं आरोपी के मध्य खेत में बकरियाँ चराने के उपर विवादहुआ था एवं उक्त विवादके कारण आरोपी द्वारा फरियादी की लाठी से मारपीट की गई थी। आरोपी रामगोपाल वयस्क व्यक्ति है एवं मारपीट करते समय वह यह समझने में सक्षम था कि उसके द्वारा जिस आयुध से फरियादी मुन्नालाल की मारपीट की जा रही है उससे मुन्नालाल को उपहित कारित होनी संभावित है आरोपी का ऐसा कहना भी नहीं हैिक उसके द्वारा प्राईवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुये फरियादी मुन्नालाल को उपहित की गई थी ऐसी स्थिति में प्रकरण की परिस्थितियों से यहीं दर्शित होता है कि आरोपी द्वारा फरियादी को स्वेच्छया उपहित कारित की गई थी।
- 25. फलतः उपरोक्त चरणों में की गई विवेचना से अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 25/3/15 को दिन के करीबन 3:00बजे ग्राम भगवासा में फरियादी मुन्नालाल की लाठी से मारपीट कर उसे अस्थि भंग कारित कर उसे स्वेच्छया गंभीर उपहित कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपी रामगोपाल शर्मा को भा0दं0सं0 की धारा 325 के आरोप में सिद्धदोष पाते हुये दोषसिद्ध करती हैं।

26. सजा के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय लिखाया जाना अस्थाई रूप से स्थगित किया गया।

(प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला भिण्ड म०प्र० पुनश्च–

- 27. आरोपी एवं उसके विद्वान अधिवक्ता को सजा के प्रश्न पर सुना गया आरोपी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि आरोपी का यह प्रथम अपराध है। आरोपी ने नियमित रूप से विचारण का सामना किया है। अतः आरोपी को परिवीक्षा का लाभ प्रदान किया जावें।
- 28. आरोपी अधिवक्ता के तर्क पर विचार किया गया प्रकरण का अवलोकन किया गया प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता हैिक अभियोजन द्वारा आरोपी के विरूद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है एवं आरोपी द्वारा नियमित रूपसे विचारण का सामना किया गया है परन्तु आरोपी वयस्क व्यक्ति है तथा सुसंगत समय पर अपने कृत्य के परिणामों को समझने में पूर्णतः सक्षम था आरोपी द्वारा जिस तरह से फरियादी मुन्नालाल की लाठी से मारपीट कर उसे स्वेच्छया गंभीर उपहित कारित की गई है उन परिस्थितियों में आरोपी को परिवीक्षा पर छोड़ा जाना उचित नहीं है। आरोपी को शिक्षाप्रद दंड से दंडित किया जाना आवश्यक है। फलतःयह न्यायालय आरोपी रामगोपाल शर्मा को भाठदंठसंठ की धारा325 के अंतर्गत एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 / —रूपये के अर्थदंड तथा अर्थदंड की राशि में व्यतिक्रम होने पर दो माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास के दंड से दंडित करती हैं।
- 29. आरोपी द्वारा अर्थदंड की राशि अदा किये जाने पर द0प्र0स0 की धारा 357 (3) के अंतर्गत फरियादी मुन्नालाल को 1000/—रूपये प्रतिकर के रूप में अपील अवधि पश्चात दिये जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।
- 30. आरोपी पूर्व से जमानत पर है उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते है।
- 32. प्रकरण में जप्तशुदा बबूल का डंडा मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात तोड तोड कर नष्ट किया जावे । अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।
- 31. आरोपी जितनी अवधि के लिये न्यायिक निरोध में रहा है उसके संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 के अंतर्गत ज्ञापन तैयार किया जावे। आरोपी द्वारा न्यायिक निरोध में बिताई गई अवधि उसकी सारवान सजा में समायोजित की जावे। आरोपी इस प्रकरण में न्यायिक निरोध में नहीं रहा हैं।
- 33. तदनुसार सजा वारंट तैयार किया जावे। स्थान – गोहद दिनांक –25 –1–2017 निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित मेरे निर्देश कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड(म०प्र०) मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही / – (प्रतिष्टा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड(म०प्र०)